2024/201

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री संजय जानी
निवासी मु.पो. सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 27 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 08.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गुजरात गैस द्वारा न्यास क्षेत्र में आने वाली सडकों / रोड कटिंग करने से पूर्व लिखित में दिनांक व समय से सूचना प्रेषित की गई हो, उन पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक और समय पर न्यास क्षेत्र के अधीन आने वाली राडकों का किया गया निरीक्षण रजिस्टर की प्रति एवं गुजरात गैस द्वारा रोड कटिंग का निर्धारित मापदण्ड एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त सडकों का निकाला गया ऐस्टिमेट बजट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त की गई नोन रिफण्डेबल शुल्क का सर्कुलर सम्बन्धित जानकारी एवं प्रतिलिपी एवं रेस्पोडेन्ट विभाग में सेवारत कार्मिकों के पदस्थापन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 08.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर यह सूचना मांगी गई थी कि गुजरात गैस द्वारा न्यास क्षेत्र में आने वाली राडकों / रोड कटिंग करने से पूर्व लिखित में दिनांक व समय से सूचना प्रेषित की गई हो, उन पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक और समय पर न्यास क्षेत्र के अधीन आने वाली सडकों का किया गया निरीक्षण रजिस्टर की प्रति एवं गुजरात गैस द्वारा रोड कटिंग का निर्धारित मापदण्ड एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त सडकों का निकाला गया ऐस्टिमेट बजट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त की गई नोन रिफण्डेबल शुल्क का सर्कुलर सम्बन्धित जानकारी एवं प्रतिलिपी एवं रेस्पोडेन्ट विभाग में सेवारत कार्मिकों के पदस्थापन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से मांगी गई थी अथवा नहीं। इसके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner